PORT BLAIR

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 64, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 11 मई, 2016
No. 64, Port Blair, Wednesday, May 11, 2016

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 11 मई, 2016

सं. 61/2016/फा.सं.–3–224/2012–श.वि.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 की धारा 3 के उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17.07.2013 की राजपत्रित (फा. सं. 3–224/2012–श.वि.) का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अ॰ तथा नि॰ द्वीपसमूह स्तंभ सं. 4 में उनके सामने उल्लिखित पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र के संबंधित भाग के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में स्तंभ सं. 2 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं ।

क्र.सं.	पदनाम	प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति	प्राधिकृत अधिकारियों के क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
क)	सचिव, पो॰ब्ले॰न॰पा॰	प्राधिकृत अधिकारी, पो॰ब्ले॰न॰पा॰	पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र एवं वायपर द्वीप ।
ख)	पंचायत सचिव, बिडनाबाद ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, बिडनाबाद ग्राम पंचायत	बिडनाबाद ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें बिडनाबाद ग्राम शामिल है ।
ग)	पंचायत सचिव, कलीकट ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, कलीकट ग्राम पंचायत	कलीकट ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें कलीकट ग्राम शामिल है ।
घ)	पंचायत सचिव, सिपीघाट ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, सिपीघाट ग्राम पंचायत	सिपीघाट ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें सिपीघाट, बिम्बलीटान एवं टेलराबाद गाँव शामिल है ।
ङ)	पंचायत सचिव, विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत	विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें विम्बर्लीगंज ग्राम शामिल है ।
च)	पंचायत सचिव, स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत	स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें स्टीवर्टगंज, गोविन्दपुरम एवं बम्बूफ्लाट (भाग) गाँव शामिल है ।
छ)	पंचायत सचिव, बम्बूफ्लाट–I ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, बम्बूफ्लाट–I ग्राम पंचायत	बम्बूफ्लाट–I ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें बम्बूफ्लाट (भाग) शामिल है ।
ज)	पंचायत सचिव, बम्बूफ्लाट–II ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, बम्बूफ्लाट–II ग्राम पंचायत	बम्बूफ्लाट–II ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें बम्बूफ्लाट (भाग) शामिल है ।
झ)	पंचायत सचिव, होप टाउन ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, होप टाउन ग्राम पंचायत.	होप टाउन ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें बम्बूफ्लाट (भाग) शामिल है ।

ञ)	पंचायत सचिव, शोर प्वाइंट ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, शोर प्वाइंट ग्राम पंचायत	शोर प्वाइंट ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें शोर प्वाइंट ग्राम शामिल है ।
ट)	पंचायत सचिव, टुसनाबाद ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, टुसनाबाद ग्राम पंचायत	टुसनाबाद ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें टुसनाबाद ग्राम शामिल है ।
ठ)	पंचायत सचिव, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत	मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें मीठाखाड़ी, मुस्लिम बस्ती एवं ओग्राब्राज गाँव शामिल है ।
ड)	पंचायत सचिव, नमूनाघर ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, नमूनाघर ग्राम पंचायत	नमूनाघर ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें नमूनाघर एवं डंडस प्वाइंट गाँव शामिल है ।
ढ)	पंचायत सचिव, छोलदारी ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, छोलदारी ग्राम पंचायत	छोलदारी ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें छोलदारी, बदमाश पहाड़ एवं क्रैकाबाद गाँव शामिल है।
ण)	पंचायत सचिव, हाम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, हाम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत	हाम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें हाम्फ्रीगंज, धनीखाड़ी एवं मंगलूटान (भाग) गाँव शामिल है ।
त)	पंचायत सचिव, गुप्तापारा ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, गुप्तापारा ग्राम पंचायत	गुप्तापारा ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें मंगलूटान (भाग) गाँव शामिल है ।
थ)	पंचायत सचिव, वन्डूर ग्राम पंचायत	प्राधिकृत अधिकारी, वन्डूर ग्राम पंचायत	वन्डूर ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें हस्मटाबाद, वन्डूर एवं मेम्यो गाँव शामिल है ।

1. प्राधिकृत अधिकारी, पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए विनियम की धारा 3 के उप–धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त नगर योजनाकार की सहायता करेगा ।

2. उपरोक्त नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के प्रकार्य इस प्रकार होगें :–

   i) प्राधिकृत अधिकारी नियोजन अनुमति व भवन नक्शा के अनुमोदन तथा अभिन्यास के अनुमोदन जारी करने हेतु सभी आवेदन फार्म सं. 5 में प्राप्त करेगा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन नियमावली, 2005 के फार्म सं. VI में पावती जारी करेगा ।

   ii) प्राधिकृत अधिकारी, सामान्यतः अनुमेय श्रेणी के अन्तर्गत सभी विकास के लिए प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्र में नियमों के प्रपत्र सं. VII में नियोजन अनुमति जारी करेगा तथा पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार 500 वर्ग मी. या उससे कम क्षेत्र वाले प्लॉटों में सभी विकास के लिए भवन नक्शा तथा 1000 वर्ग मी. तक कुल क्षेत्र सहित कार्य स्थल पर 8 या उससे कम प्लॉटों वाले अनुमोदन अभिन्यास प्रस्ताव का अनुमोदन, नगर योजनाकार को सूचित करते हुए होगा।

   iii) 500 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों में नियोजन अनुमति जारी करने का प्रस्ताव, प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्रों तथा या तो 8 प्लॉटों या 1000 वर्ग मी. से अधिक कार्यस्थलों के अभिन्यास प्रस्तावों के तहत विशेष स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्तावों को प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को नगर योजनाकार के पास भेजेगा । नगर योजनाकार से नियोजन अनुमति के प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी भवन नक्शा का अनुमोदन जारी कर सकता है ।

   iv) प्राधिकृत अधिकारी को यह अनुमति है कि वह नगर योजनाकार के अनुमोदन से, अभिन्यास के अनधिकृत विकास एवं अनधिकृत भवन निर्माण, अनुमोदित भवन नक्शा तथा अभिन्यास के अतिक्रमण को विनियमित करने के लिए विनियम में समाविष्ट सभी प्रकार के आवश्यक दण्डनीय प्रावधानों को अभिमंत्रित कर सकता है ।

   v) प्राधिकृत अधिकारी, अभिन्यास के अनधिकृत विकास एवं भवनों के अनधिकृत निर्माण, अनुमोदित भवन नक्शा एवं अभिन्यासों तथा पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के अन्य प्रावधानों के अतिक्रमण का पता लगाने एवं उसे रोकने के लिए उत्तरदायी होगा ।

vi) पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्राधिकृत अधिकारी इस संबंध में नगर योजनाकार से स्पष्ट करा सकता है ।

उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ।

उप राज्यपाल के आदेश द्वारा तथा उनके नाम पर,

ह./–
संयुक्त सचिव (लो॰नि॰वि॰/श॰वि॰)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated, 11th May, 2016

No. 61/2016/F.No.3-224/2012-UD.— In exercise of the powers conferred upon him under Sub-Section (1) of Section 3 of Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994, and in supersession to the Gazette Notification dated 17/07/2013 (File No. 3-224/2012-UD) the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands is pleased to appoint the following Officers mentioned in Column No. 2 as Authorized Officers for the respective part of Port Blair Planning Area mentioned against them in Column No. 4.

Sl. No.	Designation	Appointment of Authorised Officers	Jurisdiction of Authorised Officers
1	2	3	4
a)	Secretary, PBMC	Authorised Officer, PBMC	Port Blair Municipal Area & Viper Island
b)	Panchayat Secretary, Beodnabad Gram Panchayat	Authorised Officer, Beodnabad Gram Panchayat	Beodnabad Gram Panchayat area consists of Beodnabad village
c)	Panchayat Secretary, Calicut Gram Panchayat	Authorised Officer, Calicut Gram Panchayat	Calicut Gram Panchayat area consists of Calicut village
d)	Panchayat Secretary, Sippighat Gram Panchayat	Authorised Officer, Sippighat Gram Panchayat	Sippighat Gram Panchayat area consists of Sippighat, Bimblitan, Teylerabad villages
e)	Panchayat Secretary, Wimberlygunj Gram Panchayat	Authorised Officer, Wimberlygunj Gram Panchayat	Wimberlygunj Gram Panchayat area consists of Wimberlygunj village
f)	Panchayat Secretary, Stewartgunj Gram Panchayat	Authorised Officer Stewartgunj Gram Panchayat	Stewartgunj Gram Panchayat area consists of Stewartgunj, Govindapuram & Bambooflat (Part) village
g)	Panchayat Secretary, Bambooflat-I Gram Panchayat	Authorised Officer, Bambooflat-I Gram Panchayat	Bambooflat-I Gram Panchayat area consists of Bambooflat (Part) village
h)	Panchayat Secretary, Bambooflat-II Gram Panchayat	Authorised Officer, Bambooflat-II Gram Panchayat	Bambooflat-II Gram Panchayat area consists of Bambooflat (Part) village
i)	Panchayat Secretary, Hope Town Gram Panchayat	Authorised Officer, Hope Town Gram Panchayat	Hope Town Gram Panchayat area consists of Bambooflat (Part) village
j)	Panchayat Secretary, Shore Point Gram Panchayat	Authorised Officer, Shore Point Gram Panchayat	Shore Point Gram Panchayat area consists of Shore Point village.
k)	Panchayat Secretary, Tushnabad Gram Panchayat	Authorised Officer, Tushnabad Gram Panchayat	Tushnabad Gram Panchayat area consists of Tushnabad village
l)	Panchayat Secretary, Mithakhari Gram Panchayat	Authorised Officer, Mithakhari Gram Panchayat	Mithakhari Gram Panchayat area consists of Mithakhari, Muslim Basti & Ograbraj villages
m)	Panchayat Secretary, Namunaghar Gram Panchayat	Authorised Officer, Namunaghar Gram Panchayat	Namunaghar Gram Panchayat area consists of Namunaghar & Dundus Point villages

n)	Panchayat Secretary, Chouldari Gram Panchayat	Authorised Officer, Chouldari Gram Panchayat	Chouldari Gram Panchayat area consists of Chouldari, Badmas Pahar & Craikabad villages
o)	Panchayat Secretary, Humphrygunj Gram Panchayat	Authorised Officer, Humphrygunj Gram Panchayat	Humphrygunj Gram Panchayat area consists of Humphrygunj, Dhanikhari & Manglutan (Part) villages
p)	Panchayat Secretary , Guptapara Gram Panchayat	Authorised Officer, Guptapara Gram Panchayat	Guptapara Gram Panchayat area consists of Manglutan (Part) village
q)	Panchayat Secretary, Wandoor Gram Panchayat	Authorised Officer, Wandoor Gram Panchayat	Wandoor Gram Panchayat area consists of Hasmatabad, Wandoor & Maymyo villages

1. The Authorized Officers shall assist the Town Planner appointed under the Sub-Section (1) of Section 3 of the Regulation for implementation of Master Plan for Port Blair Planning Area.

2. The functions of the Authorized Officers appointed above shall be as below:-

   i) Authorized Officer shall receive all applications for issue of Planning Permission & Approval of Building Plan and Approval of Layouts in Form No. V and issue acknowledgment in Form No. VI of the Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Rules, 2005.

   ii) Authorized Officer shall issue Planning Permission for all development under normally permitted category in each land use zone in Form No. VII of the Rules and Approval of Building Plans for all development in plots having area not more than 500 Sqm. and approve layout proposals on sites not exceeding 8 number of plots with total area up to 1000 Sqm. as per the provisions of Master Plan for Port Blair Planning Area, under intimation to the Town Planner.

   iii) The proposals for issue of Planning Permission in plots having area more than 500 Sqm. proposals under Special Sanction Category permissible under each land use zone and layout proposals for sites exceeding either 8 number of plots or area more than 1000 Sqm. Authorized Officer shall forward the proposal to the Town Planner for approval. Upon receipt of the Planning Permission from the Town Planner, the Authorized Officer may issue the Approval of Building Plan.

   iv) Authorized Officer is hereby allowed to invoke all the necessary penal provisions contained in the Regulation, to regulate the unauthorized development of layouts & construction of buildings, violation of approved Building Plans and Layouts, with the approval of Town Planner.

   v) Authorized Officer shall be responsible to identify and stop the unauthorized development of layouts & constructions of buildings, violation of approved Building Plans & Layouts and other provisions of the Master Plan for Port Blair Planning Area.

   vi) Authorized Officer may seek clarifications, if any, regarding interpretation of the provisions of the Master Plan for Port Blair Planning Area from the Town Planner.

Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
Joint Secretary (PWD/UD)

MGPPB—64/Gazette/2016 — 115 Copies. (SB-HCL-XII)